

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 3(126)ACR/CCE/10/1329

दिनांक: 23/07/2021

1. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।
2. समस्त प्राचार्य,
राजकीय विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।


विषय :- सत्र 2020-21 के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भिजवाने बाबत।

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2020-21 के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में समस्त सह एवं सहायक आचार्यों द्वारा अपलोड किये गये E-content "Gyandoot Programme" live session, Youtube Videos, का Self Appraisal Perfoma में स्पष्ट उल्लेख करें।

सत्र 2020-21 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में प्राचार्यों द्वारा AAP मूल्यांकन में महाविद्यालय का स्कोर व ग्रेड क्या रहा, महाविद्यालय NAAC प्रत्यायन के लिये योग्यता रखता है या नहीं, क्या महाविद्यालय का NAAC प्रत्यायन हो चुका है, उक्त बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख करें।

अतः इसके आधार पर ही सत्र 2020-21 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जायेगा अन्यथा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।


23/07/2021
डॉ० आर०सी० मीना,
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि प्रभारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।


23/07/2021
डॉ० आर०सी० मीना,
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर